न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 24/2020

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. अशोक कुमार बोहरा पुत्र मोहन लाल बोहरा जाति जैन निवासी जूनी चौकी, खागल मौहल्ला जिला बाड़मेर (मैसर्स गणपत किराणा स्टोर, गडरा चौराहा, बाड़मेर फर्म का मालिक) 2. ओमप्रकाश पुत्र हरीराम निवासी ऐवादख सोनली, नागौर (मैसर्स शक्ति टी कम्पनी, उदयन स्कूल के पास, बलदेव नगर, बाड़मेर का मालिक) 3. राजू सिंह मलावत पुत्र भागीरथ सिंह निवासी प्लॉट नं. 28, गणेश विहार–बी, बेनर रोड, जयपुर (मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 21, 21ए, रोड नं. 18, कृष्णा विहार–5, आकोडा डूंगर, जयपुर फर्म का भागीदार) 4. जितेन्द्र सिंह (मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 21, 21ए, रोड नं. 18, कृष्णा विहार–5, आकोडा डूंगर, जयपुर फर्म का भागीदार)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजूराम कुमावत, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:29:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक : 02.11.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स गणपत किराणा स्टोर, गडरा चौराहा, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक 17.02.2019 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **Edible Vegetable Oil (Cooking Medium) Mahadev Brand (500 ML)** जो एक कार्टून 20 किलो डिब्बों में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट **Edible Vegetable Oil (Cooking Medium) Mahadev Brand (500 ML)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1019** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **Edible Vegetable Oil (Cooking Medium) Mahadev Brand (500 ML)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **Edible Vegetable Oil (Cooking Medium) Mahadev Brand (500 ML)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह सील पैक कार्टून डिब्बा कम्पनी उत्पादक से खरीदा है एवं सील पैक कार्टून डिब्बे का व्यापार करता है। अप्रार्थी संख्या 2 किसी भी प्रकार का उत्पादक नहीं है। वह जिस मूल अवस्था में खरीदता है उसी मूल अवस्था में केवल विक्रय करता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 ने यह भी निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में यदि कोई भूलवश गलती हो गई हो तो वह भविष्य में ऐसी कोई गती नहीं करेगा एवं जो भी अर्थदण्ड होगा उसका तुरन्त भुगतान कर देगा।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से [illegible] है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदा[illegible] प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या [illegible] फर्म से लि[illegible] खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं [illegible] जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **15.03.2019** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। केवल अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित जबाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:29:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह सील पैक कार्टून डिब्बा कम्पनी उत्पादक से खरीदा है एवं सील पैक कार्टून डिब्बे का व्यापार करता है। अप्रार्थी संख्या 2 किसी भी प्रकार का उत्पादक नहीं है। वह जिस मूल अवस्था में खरीदता है उसी मूल अवस्था में केवल विक्रय करता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 ने यह भी निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में यदि कोई भूलवश गलती हो गई हो तो वह भविष्य में ऐसी कोई गती नहीं करेगा एवं जो भी अर्थदण्ड होगा उसका तुरन्त भुगतान कर देगा। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का अप्रार्थीगण निर्माता के पास कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहकर कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 पर संयुक्त रूप से रूपये 1,00,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 02.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:29:22 IST
Reason: SelfAttested